यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **नैनीताल** के 3/2014 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल व श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज पाल**, लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **28.01.2019** से **01.02.2019** तक श्री प्रभाकर दुबे**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक-इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री रामसनेही एवं श्री एस. के. सिंह**,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनाँक 03/03/2014 से 06/03/2014 तक श्री पी.सी श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी**,** जिसमे माह 07/2004 से 02/2014 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2014 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- नैनीताल

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	78.13	55.98	23.94	23.05		23.04
2016-17	-	-	65.04	54.43	24.21	23.47		11.35
2017-18	-	-	74.12	74.04	26.12	25.94		0.26
2018-19 (12/ 2018 तक)	-	-	75.85	66.00	27.65	22.49		-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः- शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुये इकाई "सी"श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

अर्थ एवं संख्याधिकारी
अपर सांखिकीय अधिकारी
सहायक सांखिकीय अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ठ सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **नैनीताल** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **नैनीताल** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/15, एवं 08/17 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।
(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो-'ब'</u>

<u>प्रस्तर:1-</u> 90% धनराशि व्यय होने के पश्चात परियोजना के निष्फल रहने के कारण किसी अन्य संस्था को सौंपना ₹6.7 लाख।

कार्यालय में 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत "जिला नवाचार निधि" के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि संस्था "फ़ाउंडेशन फॉर sustainable development" को परियोजना "Enterpreneruship development farmers of 10 selected rural village of district Nainital" हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 6.70 लाख स्वीकृत किए गए थे तथा इसी क्रम में संस्था को प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय किश्त के रूप में 90% धनराशि ₹ 6.03 लाख अवमुक्त किए गए (30%+40%+20%)। किन्तु इसके पश्चात कार्यालय द्वारा उक्त परियोजना को किसी अन्य संस्था को देने का निर्णय लिया गया।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उप-निदेशक अर्थ एवं संख्याधिकारी कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी द्वारा निरीक्षण करने पर पायी गयी अनियमितताओं के कारण संस्था को पत्र प्रेषित किया गया था तथा संस्था के प्रत्युत्तर को निदेशालय भेजा गया। इस संबंध में निदेशालय से दिशा-निर्देश प्राप्त होने या पुनः निदेशालय द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

कार्यालय का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि परियोजना पूर्ण होने से पूर्व इकाई द्वारा संस्था तथा परियोजना के संबंध में आंकलन किया जाना चाहिए था। परियोजना के अंतिम चरण में पहुँचने के पश्चात निरीक्षण करने का औचित्य नहीं है। इस स्थिति में परियोजना के निरस्त होने की दशा में उस पर किया गया शासकीय व्यय निष्फल माना जाएगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो-'ब'</u>

<u>प्रस्तर:2-</u> ₹ 5.99 लाख व्यय होने तथा दो वर्ष से अधिक विलंब के वाबजूद भी योजना के उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला नवाचार निधि परियोजना के चयन एवं क्रियान्वयन के दौरान संस्था सेतु सामाजिक विकास समिति संस्था के प्रस्ताव के आधार पर सहमति बनी थी। परियोजना का उद्देश्य रूफ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भीमताल ब्लॉक के 06 दूरस्थ गावों में जो पानी की समस्या से ग्रस्त थे, को पानी उपलब्ध करना था। इस कार्य के लिए चयनित 06 गावों में 30 टैंक बनाने थे जिन्हे पतनालों द्वारा छत के पानी से जोड़ना था ताकि संकट के समय पानी की कमी को पूरा किया जा सके। संस्था द्वारा प्रस्तावित योजना की लागत ₹ 9.88 लाख थी जिसके सापेक्ष ₹ 8.58 लाख की संस्तुति विभाग के द्वारा की गयी थी।

आगे जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि स्वीकृत ₹ 8.58 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त ₹ 2.56 लाख एवं तदुपरान्त द्वितीय किश्त ₹ 3.42 लाख क्रमशः 3/2016 एवं 7/2017 को जारी किया गया था। आगे जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अनुबंध के अनुसार 01/2016 से शुरू हुई योजना 12 माह में पूर्ण किया जाना था पर योजना का सत्यापन रिपोर्ट 9/2016, 3/2018, एवं 4/2018 से यह तथ्य प्रकाश में आया कि निर्धारित अवधि से 2 वर्ष अधिक हो जाने के उपरांत भी परियोजना पूर्ण नहीं हुई थी एवं उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई थी। अधिकतर टैंक पतनाले से जुड़े न होने के कारण वर्षा का पानी इकट्ठा करना तथा प्रयोग करना संभव नहीं था। विभाग द्वारा बार-बार पत्राचार करने के वाबजूद संस्था कार्य पूर्ण करने एवं तदनुसार अभिलेख प्रस्तुत करने में रुचि नहीं ले रही थी।

उदासीनता का कारण एवं विलंब एवं उद्देश्यों की पूर्ति न होने पाने का कारण पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि संस्था से बार-बार पत्राचार किया गया था। कार्य की प्रगति बहुत धीमी है पर रुकी नहीं है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था। तीन वर्ष व्यतीत होने के बावजूद कार्य पूर्ण न होना एवं वांछित उद्देश्य पूरा न होने से स्पष्ट है कि उक्त कार्य महत्वपूर्ण नहीं था।

अतः ₹ 5.99 लाख व्यय होने एवं 2 वर्ष से अधिक विलंब होने के बावजूद कार्य पूर्ण न होने एवं उद्देश्यों की पूर्ति न होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो-'ब'</u>

<u>प्रस्तर:3-</u> ₹ 0.62 लाख का निष्फल व्यय एवं ₹ 1.45 लाख का अवरोधन।

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला नवाचार योजना संचालित की गयी थी। योजना के दिशा-निर्देशानुसार आबंटित धनराशि से 30% धनराशि ऐसे लोक अवस्थापनाओं के गैप को पूर्ण करने के लिए की जानी थी एवं 70% धनराशि जनपद स्तर पर चिन्हित नवाचार (innovative) योजनाओं/परियोजनाओं पर व्यय की जानी थी। अभिनव योजना में ग्रामीण तकनीकी संबंधी योजनाएँ, स्थानीय आवश्यकतानुसार तैयार की नयी अभिनव योजनाएँ, स्थानीय विद्यालय/महाविद्यालय में अभिनव प्रयोगिक शोध, चिकित्सा तथा शिक्षा के क्षेत्र की गुणवत्तापरक बनाए जाने हेतु प्रस्तावित अभिनव योजनाएँ, स्थानीय संसाधनों का अभिनव प्रयोग करते हुए आजीविका व्यवस्था आदि ली जा सकती थी।

इससे संबन्धित परियोजनाओं की जाँच में पाया गया कि विकल्प समिति लोहरिया साल मल्ला हल्द्वानी का चयन, बेकार वस्तुओं को सुधार कर जीविकोपार्जन करने के लिए किया गया था। उक्त संस्था से विभाग द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुबंध किया गया था (12/2015)। संस्था द्वारा योजना के लिए प्रस्तावित लागत ₹ 2.45 लाख के सापेक्ष ₹ 2.07 लाख स्वीकृत किया गया था। दिशा-निर्देशानुसार स्वीकृत लागत का 10% संस्था को स्वयं वहन करना था जो जिला नवाचार खाते में जमा करना था तदुपरान्त प्रथम 30% विभाग द्वारा संस्था को अवमुक्त करना था। आगे जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा प्रथम किश्त ₹ 0.62 लाख जारी किया गया था (03/2016)। प्रथम किश्त जारी करने के उपरांत विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन दि॰ 17/8/2016, दि॰ 21/12/2016 एवं दि॰ 31/7/2017 में यह तथ्य प्रकाश में आया कि संस्था द्वारा न तो विहित उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सार्थक प्रयास ही किया गया और न ही 10 महिलाओं द्वारा बनाया जाने वाला समूह ही बनाया गया था जिससे बेकार वस्तुओं से जीविकोपार्जन संबंधी कार्य ही किया जा सके। इस प्रकार प्रथम किश्त व्यय करने के उपरांत भी न तो संस्था के संचालन का कोई निश्चित स्थान था और न ही विहित कार्य ही किया गया था। विभाग द्वारा बार-बार निरस्तीकरण के लिए लिखे जाने पर भी संस्था उद्देश्यों के प्रति सजग एवं सक्रिय नहीं थी। इस प्रकार ₹ 0.62 लाख का अलाभकारी व्यय एवं ₹ 1.45 लाख संस्था के लिए विभाग के पास आवश्यक रूप से अवरूद्ध पड़ा था।

संस्था द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही न किए जाने के विषय में पूछने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि नवाचार निधि के अंतर्गत प्रक्रिया लंबी होने के कारण निरस्तीकरण में विलंब हो रहा है। प्रक्रिया निदेशालय से पूर्ण होते ही निरस्तीकरण कर दिया जाएगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। तीनों सत्यापन में उद्देश्यों की पूर्ति न होने की पुष्टि के उपरांत तीन वर्ष अवधि व्यतीत होने पर भी निरस्तीकरण न होना एवं धनराशि ₹ 1.45 लाख संस्था के लिए अवरुद्ध रखना उचित नहीं था।

अतः ₹ 0.62 लाख का निष्फल व्यय एवं ₹ 1.45 लाख के अवरोधन के साथ उद्देश्यों की पूर्ति न होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:4-</u> GVR की कटौती न किया जाना ₹11800।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग केशासनादेश संख्या: 710/दस-स.वि-नित-2-97, दिनांक 21 मई, 1999 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिन्हे वाहन आवंटित है, को 200 km प्रतिमाह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष मे प्रतिमाह प्रतिवाहन के आधार पर कार के लिए ₹ 500 तथा जीप के लिए ₹ 400 जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था एवं उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 84/xxvii(7)50(06)/2017 दिनांक 7/6/2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अंतर्गत राजकीय कोष मे जमा किए जाने वाले प्रतिमाह प्रतिवाहन की वर्तमान राशि मे वृद्धि करते हुए 1/5/2017 से प्रत्येक वाहन हेतु ₹ 2000 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी गई।

इस संबंध मे वेतन बिल पंजिका की जांच में पाया गया कि श्रीललितमोहन जोशी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, नैनीताल के वेतन से राजकीय वाहन कटौती माह अगस्त/16 से अप्रैल/2017 कुल 9 माह की ₹400*9=₹3600 एवं माह मई/2017 से अगस्त/2017 कुल 4 माह की ₹2000*4=8000 की कटौती की जानी चाहिए थी। अतः इस प्रकार ₹ 11600 कम की वसूली की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि धनराशि जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- नवाचार निधि के अंतर्गत अप्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹ 2.42 लाख।

कार्यालय में 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत “जिला नवाचार निधि” के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए:

क्र.सं.	योजना का नाम	संस्था का नाम	लागत ₹	अप्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की लागत ₹
1	ग्रामीण क्षेत्रों में जन सामान्य को रियायती दर पर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना	सेवा इंडिया वेलफ़ेयर सोसाइटी	1211000	4th किश्त	121100
2	हवन सामग्री एवं धूप प्रोजेक्ट	स्व. श्री अम्बा दत्त जन विकास समीति हल्द्वानी	111000	4th किश्त	11100
3	Small scale industries the creation of non-agricultural (NAE)in rural areas of Uttarakhand	सदभावना सेवा समीति	387000	4th किश्त	38700
4	Pilot project on introduction of modern and innovative education methodology in selected primary schools in district of Nainital of Uttarakhand state	Information Technology development and educational society	710000	4th किश्त	71000
कुल					**241900**

उपरोक्त के संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि चतुर्थ किश्त कि धनराशि संस्था की ही है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि का उपयोग परियोजना हेतु किया जा रहा था, तथा पूर्ण धनराशि का उपयोग कर इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही परियोजना की सफलता या असफलता का आंकलन किया जा सकता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा **में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- माह 03/2015 के वाउचर संख्या 111**, **0154**, **0149**, **0152**,**0156**, **0151**,**0150**, **0162**, **0163**, **0159**, **0166**, **0165**,**0169**, **0175**, **0182**, **0186**, **0184**, **0158**, **0187**, **0176**, **0178**,**0179**, **0184**, **0203**, **0196**, **0195**, **0198**, **0201**, **0204**,**0183**, **0177**,**0167**,**158**, **161**, **0188**, **0190**, **0177**, **0189**, **205**, **0209**, **0208**, **0228**, **0220**, **0212**, **0228**, **0232**,**0213**, **0216**, **0214**, **0181**, **0234**, **237**

2- सतत् अनियमिततायेः-शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री अमित पुनेठा	अर्थ एवं संख्याधिकारी	फ़रवरी 2014	22-5-15
2.	श्री अमित पुनेठा	उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या	23-5-15	10-5-16
3	श्री अमर सिंह गुंजयाल	जिला विकास अधिकारी	11-5-16	18-7-16
4	श्री ललित मोहन जोशी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	19-7-16	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलितकर एक प्रति **कार्यालय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र